रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219228
CG-DL-E-29042020-219228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1247] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2020/वैशाख 9, 1942
No. 1247] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2020/VAISAKHA 9, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

का.आ. 1395अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	श्री उज्जवल कुमार भट्टाचार्य एसी-83, एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता – 700163	अध्यक्ष
2.	प्रो. मधुमिता राय 8 जाधवपुर सेंट्रल रोड कोलकाता – 700032	सदस्य

3.	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार ।	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

4. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन राज्य सरकार के लिए गठित राज्य विशेषज्ञ समिति, पश्चिमी बंगाल की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल को सहायता के प्रयोजन के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईएसी पश्चिमी बंगाल कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1.	डा. अशित कुमार मुखर्जी, 29/43, पंच कोरी घोष रोड, कोलकाता – 700008	अध्यक्ष
2.	प्रो. (डा.) संपा चक्रवर्ती फ्लैट नं. श्र-103, वीआईपी एन्कलेव, वीआईपी रोड, देशबंधु नगर, कोलकाता-700050	सदस्य
3.	डा. प्रदीप कुमार सिकदर, पर्यावरण प्रबंधन विभाग भारतीय समाजिक कल्याण और व्यापार प्रबंधन संस्थान, संस्थान भवन, कॉलेज स्कवायर (पश्चिम), कोलकाता-700073	सदस्य
4.	प्रो.(डा.) अनिरुद्ध मुखोपाध्याय, फ्लैट नं. 3ए, 10ए, रूपचंद मुखर्जी लेन, आनंदरूप अपार्टमेंट, कोलकाता-700025	सदस्य
5.	डा. निलंगशु भूषण बासु, 7ए, टिंकारी घोष लेन, कालीघाट, कोलकाता-700026	सदस्य
6.	डा. गौतम कुमार साह, "मधुबन" को-ओपरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी, एसी-142, न्यू टाउन, स्ट्रीट नं. 47, कोलकाता-700156	सदस्य
7.	डा. सुचंद्रा बर्धन, 6, उपेन्द्र बिसवास सारणी, जाधवपुर, कोलकाता-700032	सदस्य

IndiaCode

8.	प्रो. ममता चौधुरी राय, 247, लेक गार्डन, दूसरा तल, कोलकाता-700045	सदस्य
9.	डा. अनिर्बन गुप्ता, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर, हॉवड़ा-711103	सदस्य
10.	श्री सुभेंदु बंदोपाध्याय, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), फ्लैट नं. 4ए, हरि कुटीर, राजदंगा मेन रोड, कस्बा न्यू मार्केट के नज़दीक, कोलकाता-700107	सदस्य
11.	डा. इंद्रनाथ सिन्हा, खनन इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर, हॉवड़ा-711103	सदस्य
12.	सदस्य- सचिव, पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।	सचिव

6. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समाघात प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समाघात प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. पश्चिमी बंगाल सरकार, प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल और राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता पश्चिमी बंगाल सरकार के नियमों के अनुसार संदेय होंगे ।

[फा. सं. जे-11013/8/2007 आईए-II(I)]

अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2020

S.O. 1395(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, West Bengal (hereinafter referred to as the Authority, West Bengal) comprising of the following Members, namely: -

1. Shri Ujjwal Kumar Bhattacharya, -Chairman
 AC-83, Action Area-1, New Town,
 Kolkata - 700163.

2. Prof. Madhumita Roy, -Member
 8 Jadavpur Central Road,
 Kolkata - 700032.

3. Chief Environment Officer, -Member Secretary
 Department of Environment,
 Government of West Bengal

2. The Chairman and Members of the Authority, West Bengal shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, West Bengal shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, West Bengal shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5.

5. For the purpose of assisting the Authority, West Bengal, the Central Government in consultation with the State Government of West Bengal, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the SEAC, West Bengal) comprising of the following Members, namely:-

1. Dr. Ashit Kumar Mukherjee, -Chairman
 29/43, Panch Kori Ghosh Road,
 Barisha, Kolkata - 700008.

2. Prof. (Dr.) Sampa Chakrabarti, -Member
 Flat No. J-103, V.I.P. Enclave, V.I.P. Road,
 Deshbandhu Nagar, Kolkata - 700050.

3. Dr. Pradip Kumar Sikdar, -Member
 Department of Environment Management,
 Indian Institute of Social Welfare and Business Management,
 Management House, College Square (West), Kolkata - 700073.

4. Prof. (Dr.) Aniruddha Mukhopadhyay, -Member
 Flat No. 3A, 10A, Rupchand Mukherjee Lane,
 Anandaroop Apartment, Kolkata - 700025.

5. Dr. Nilangshu Bhusan Basu, -Member
 7A, Tinkari Ghosh Lane, Kalighat,
 Kolkata - 700026.

6. Dr. Goutam Kumar Saha, -Member
 ''MADHUBAN'' Co-operative Housing Society,
 AC-142, New Town, Street No. 47,
 Kolkata - 700156.

IndiaCode

7.	Dr. Suchandra Bardhan, 6, Upendra Biswas Sarani, Jadavpur, Kolkata - 700032.	-Member
8.	Prof. Mamata Chaudhuri Ray, 247, Lake Gardens, 2nd Floor, Kolkata - 700045.	-Member
9.	Dr. Anirban Gupta, Department of Civil Engineering, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah - 711103.	-Member
10.	Shri Subhendu Bandopadhyay, Indian Forest Service (Retired), Flat No. 4A, Hari Kutir, Rajdanga Main Road, Near Kasba New Market, Kolkata - 700107.	-Member
11.	Dr. Indranath Sinha, Department of Mining Engineering, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah - 711103.	-Member
12.	Member Secretary, West Bengal Pollution Control Board, Kolkata	-Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC, West Bengal shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, West Bengal shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, West Bengal shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The Government of West Bengal shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, West Bengal and SEAC, West Bengal and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, West Bengal and SEAC, West Bengal shall be paid as per the reference rules of the State Government of West Bengal.

[F. No. J-11013/8/ 2007- IA-II (I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.29 21:02:32 +05'30'